मेसर्स नवभारत फ्यूज कंपनी लिमिटेड, (रसूली आयरन ओर डिपोजिट माईन) द्वारा ग्राम–रसूली, तहसील–भानुप्रतापपुर जिला–कांकेर (छ.ग.) में प्रस्तावित लौह अयस्क आयरन ओर माईन क्षमता – 45000 टन/वर्ष (लीज क्षेत्र 220 हेक्टेयर) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई।

दिनांक 07/09/2016 का कार्यवाही विवरण।

मेसर्स नवभारत फ्यूज कंपनी लिमिटेड, (रसूली आयरन ओर डिपोजिट माईन) द्वारा ग्राम–रसूली, तहसील–भानुप्रतापपुर जिला–कांकेर (छ.ग.) में प्रस्तावित लौह अयस्क आयरन ओर माईन क्षमता – 45000 टन/वर्ष (लीज क्षेत्र 220 हेक्टेयर) के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 01.12.2009 के प्रावधानानुसार लोकसुनवाई दिनांक 07.09.2016 (07 सितम्बर 2016) दिन बुधवार दोपहर 12.00 बजे, स्थान–कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, भानुप्रतापपुर, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) में कराई गई। राजपत्र में प्रकाशित प्रावधान के अनुसार सर्वसंबंधितों से मेसर्स नवभारत फ्यूज कंपनी लिमिटेड, (रसूली आयरन ओर डिपोजिट माईन) द्वारा ग्राम–रसूली, तहसील–भानुप्रतापपुर जिला–कांकेर (छ.ग.) में प्रस्तावित लौह अयस्क आयरन ओर माईन क्षमता– 45000 टन/वर्ष (लीज क्षेत्र 220 हेक्टेयर) के संबंध में सुझाव अथवा विचार 30 दिवस के अंदर प्रस्तुत किये जाने के लिए सूचना का प्रकाशन राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र हिन्दुस्तान टाईम्स एवं स्थानीय समाचार पत्र देशबंधु समाचार/अमृत संदेश समाचार पत्र के अंक में दिनांक 06.08.2016 को जनसाधारण की जानकारी के प्रयोजनार्थ प्रकाशित कराया गया।

निर्धारित समयावधि में क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, जगदलपुर में श्री वी. सुनंदा रेड्डी प्रेसिडेन्ट पर्यावरण परिरक्षण संस्था नालगोण्डा तेलंगाना से ई–मेल द्वारा आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुआ है। लोक सुनवाई के दौरान 03 हस्ताक्षरयुक्त लिखित आवेदन प्राप्त हुआ।

लोकसुनवाई प्रारंभ करने के पूर्व उपस्थित जन समुदाय को लोकसुनवाई प्रक्रिया की जानकारी दी गई। तत्पश्चात लोकसुनवाई के प्रथम चरण में प्रबंधन के **श्री जगमोहन कालरा (लाईजिनिंग अधिकारी)** द्वारा परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी उपस्थित जन समुदाय को दी गई। साथ ही आसपास के क्षेत्रों में कम्पनी द्वारा क्या विकास किया जायेगा एवं परियोजना के तहत् उद्योग के संबंध में उत्पन्न होने वाले जल/वायु एवं ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु प्रस्तावित उपायो की जानकारी उपस्थित जन समुदाय को दी गई।

<u>जन सुनवाई के दौरान उपस्थित जनसामान्य द्वारा प्रमुख रूप से निम्नलिखित मुद्दे उठाये गये</u> :–

1. **श्री राजेश रंगारी, सलिहा पारा भानुप्रतापपुर** – रसूली हमारे क्षेत्र से लगा है। पर्यावरण की दृष्टि से मेरी आपत्ति है कि वहां का घनत्व एरिया 0.6 है। वहां पर खनन के लिए अनुमति नहीं देना चाहिए। वहां पर पशु पक्षी विचरण करते हैं इसलिए वहां पर पेड़ पौधा को नुकसान होगा। कंपनी खनन करना चाहती है। यहां पर बहुत जगह पर खनन हो रहा है तो इसकी अवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इनके द्वारा यह नहीं बताया गया है कि कंपनी ने जहां–जहां कार्य किया है वहां क्या विकास कार्य किये हैं ? कंपनी का रिकार्ड (परफार्मेन्स) पिछड़ा है।

2. **श्री शोप सिंह आंचला जनपद सदस्य, दुर्गकोन्दल** – जिस क्षेत्र की माईन्स के संबंध में सुनवाई हो रहा है। मैं उस क्षेत्र की जनता का पक्ष रखना चाहता हूँ। इस संबंध में स्थानीय जनता को जन सुनवाई की जानकारी नहीं है। जब मुझे जानकारी नहीं है तो जनता को क्या जानकारी होगी ? इस कारण आज दिनांक 07.09.2016 की लोक सुनवाई स्थागित कर स्थानीय स्तर पर जन सुनवाई कराई जाए।

3. **श्री देवलाल नरेटी, कोदापाखा, दुर्गुकोन्दल** – मैं भी इस कार्यक्रम को स्थगित करने के लिए आवेदन लगा रहा हूँ। उस क्षेत्र की जनता यहाँ नहीं आई है तथा लोक सुनवाई उसी क्षेत्र में होनी चाहिए। बातें सभी लोग करते हैं लेकिन काम कौन करता है ? लोक सुनवाई स्थगित किया जाना चाहिए।

4. **श्री धनसिंह तोत्पा, ग्राम पंचायत सिवनी** – अभी जो आंचला जी कह रहे हैं सही बात है। पूरे क्षेत्र में जनहानि की तकलीफ होगी।

5. **श्री वी. सुनंदा रेड्डी, नालगोण्डा, तेलंगाना** – मेरा अनुरोध है कि 10 किमी एरिया के पानी का आंकलन करें। मेरा सुझाव है कि माईन से वर्षा के पानी से होने वाले नुकसान भू–जल के बारे में बतायें वृक्षारोपण के बारे में क्या व्यवस्था किया जा रहा है ? स्थानीय लोगों को रोजगार की व्यवस्था क्या करेंगे। स्टील डेव्हलपमेंट की व्यवस्था से गांव के लोगों को क्या डेव्हलपमेंट होगा। स्थानीय लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जाए।

6. **श्री जगन्नाथ साहू, जिला मंत्री, भारतीय जनता पार्टी, दुर्गुकोन्दल** – लोक सुनवाई दुर्गकोन्दल ब्लाक की है इसलिए जन सुनवाई दुर्गुकोन्दल में करें। वहां के स्थानीय जन प्रतिनिधियों को मालूम होना चाहिए। लोक सुनवाई स्थगित किया जाये।

7. **पुशऊ राम दुग्गा, जनपद सदस्य, क्षेत्र क्रं. 02 दुर्गुकोन्दल** – माईन्स का काम दुर्गुकोन्दल ब्लाक में होने जा रहा है। जन सुनवाई कार्यक्रम जिस क्षेत्र में खदान है उसी ग्राम पंचायत में होनी चाहिए वहां के गांव वाले अपना पक्ष रख सकते हैं। वहां पर हमारे गांव वाले सुंदर सजा कर उस पहाड़ी को रखे हैं। खदान खुलने से प्राकृतिक संपदा खराब हो जायेगी। हमारे अनपढ़ आदिवासी यहां पर निवासरत है।

उनको जीने खाने का अधिकार है उन पर भी विचार होना चाहिए। उस जंगल से हम सभी आसानी से जी खा रहे हैं। उस क्षेत्र के लोगों को परेशानी होगी। दल्ली राजहरा के लोगों का कहना है कि बड़े बड़े लोगों को ही काम मिलता है। यहां पर भी ऐसा ही होगा। हम छोटे छोटे किसान के खेत लाल पानी से प्रभावित होंगे पूरा बरसात का लाल पानी बहकर हमारे खेतों को बरबाद करेगा। यह जन सुनवाई कार्यक्रम से मैं सहमत नहीं हूँ लेकिन खदान खुलने में सभी का विचार लेना जरूरी है।

लोक सुनवाई के दौरान जन सामान्य द्वारा आपत्ति/सुझाव/विचार दर्ज कराया गया, जो कि संलग्न है। लोक सुनवाई में जन सामान्य की उपस्थिति लगभग 100 रही एवं उपस्थिति पत्रक में 47 लोगों ने हस्ताक्षर किया। उपस्थित जन समुदाय द्वारा क्षेत्र का विकास किये जाने, शिक्षा, स्थानियों को रोजगार, अस्पताल, सड़क, वृक्षारोपण आदि की शर्त के साथ परियोजना के पर्यावरणीय लोकसुनवाई सम्पन्न किया गया।

07/9/16

(डॉ. सुरेश चंद्र)
क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
जगदलपुर (छ.ग.)

(विपिन मांझी)
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
जिला– उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)